UPEW010038522017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी(पी0 ए 0)एक्ट/

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.2, इटावा।

पीठासीन अधिकारी संजय कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा ।

JO Code UP 6462

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–58/2017

राज्य प्रति 1. कल्लू गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता

2. अकरम खान पुत्र नसीर खान

निवासीगण महावीर नगर, थाना भरथना, जिला इटावा।

मु.अ.सं.452/2017

धारा–302, 201 376(2) भा.द.सं. व धारा–3(2)(v)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम।

थाना भरथना, जिला इटावा।

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण का विचारण थाना भरथना जनपद इटावा की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 452/2017 में अभियुक्तगण कल्लू एवं अकरम खान के विरुद्ध धारा 302, 201, 376(2) भा.दं.संहिता व धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादी राजकुमार दोहरे द्वारा थाना भरथना, जिला इटावा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है कि वादी की पत्नी संगीता देवी है। उसके तीन बच्चे , उसकी पत्नी संगीता दिनांक 14.06.17 को दिन करीब तीन बजे बैंक खाता खुलवाने के लिए घर से निकल गयी थी। कल्लू गुप्ता का उसके घर पत्नी के पास आना–जाना था। चूंकि कल्लू उसका दोस्त है, उसकी पत्नी जब बैंक के लिए गयी तो रास्ते में कल्लू उसके

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.07.16 17:32:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साथ हो गया। कल्लू उससे रात घर आकर कहा कि तुम्हारी पत्नी संगीता को सुबह तक पहुँचा दूंगा। यह भी कहा कि कल्लू उसकी पत्नी से इस बात पर कि कल्लू का उसकी पत्नी से सम्बन्ध बन गये थे, इसलिए जलन रहती थी जब आज सुबह तक संगीता को कल्लू वापस नहीं लाया तो वह और परिवार के लोग तलाशने लगे। तलाशते–तलाशते राहगीरों से पता चला कि मल्हौसी नहर पुल के पास एक औरत की लाश पड़ी है। जहां पहुँच उसने देखा कि नहर किनारे पड़ी लाश उसकी पत्नी संगीता की है। मौके पर लोगों को छोड़ आया हूॅ। उसे पूरा विश्वास है कि उसकी पत्नी संगीता की हत्या नाजायज सम्बन्ध के चलते कल्लू गुप्ता उपरोक्त ने करके नहर के किनारे अन्दर पानी में डाला है।

3. वादी मुकदमा की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्त कल्लू गुप्ता के विरुद्ध धारा 302, 201 भा0 दं0 संहिता व धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम के अन्तर्गत थाना भरथना, जनपद इटावा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8 पंजीकृत की गयी।

4. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया तथा साक्षीगण एवं अभियुक्त के बयान अंकित किये गये और पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्तगण कल्लू एवं अकरम खान के विरुद्ध धारा 302, 201, 376(2)भा.दं.संहिता व धारा 3(2)(v)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क–11 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2017 को अभियुक्तगण कल्लू गुप्ता एवं अकरम खान के विरुद्ध 302/34, 201, 376(2)भा.दं.संहिता व धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करते हुए परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है–

1. पी.डब्लू.1 राज कुमार
2. पी.डब्लू.2 राजेश्वरी
3. पी.डब्लू.3 डा.संजीव कुमार
4. पी.डब्लू.4 सोनू तिवारी
5. पी.डब्लू.5 मीनादेवी

6. पी.डब्लू.6 निरीक्षक रजनीशकुमार,
7. पी.डब्लू.7 शिवराज, अपर पुलिस अधीक्षक
8. पी.डब्लू.8 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक बाबूराम
9. पी.डब्लू.9 विकास कुमार जायसवाल, क्षेत्राधिकारी
10. पी.डब्लू.10 ज्ञानेन्द्र कुमार

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये–

दस्तावेज का नाम	अंकित प्रदर्श
तहरीर	प्रदर्श क–1
पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–2
पंचायतनामा	प्रदर्श क–3
मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित पत्र	प्रदर्श क–4
नक्शा नजरी	प्रदर्श क–5
नक्शा नजरी	प्रदर्श क–6
फर्द लेने कब्जे जली साड़ी कपड़े के टुकड़े मृतका	प्रदर्श क–7
चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–8
जी.डी.	प्रदर्श क–9
नक्शा नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क–10
आरोप पत्र	प्रदर्श क–11
विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की आख्या	प्रदर्श क–12
फर्द कब्जे लेने आला कत्ल एक अदद डण्डा लकड़ी	प्रदर्श क–12
नमूना मुहर	प्रदर्श क–13

8. अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं0 प्र0 संहिता अभिलिखित किया गया,जिसमें अभियुक्तगण ने घटनाक्रम को गलत बताते हुये स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

9. राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

10. विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दिनांक 14.06.2017 को समय 03.00 बजे दिन व स्थान रास्ता भरथना व मल्हौसी नहर पुल के पास, थाना भरथना, जिला इटावा में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा राजकुमार दोहरे की पत्नी संगीता, जो कि जाटव अनुसूचित जाति की है, अभियुक्तगण गैर अनुसूचित जाति के हैं, जब बैंक जा रही थी, तो उसे रास्ते से अन्य लोगों के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में अपने साथ ले गये और उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्कार कारित कर डण्डे से मारपीट कर उसकी हत्या कारित कर दी तथा साक्ष्य का विलोपन करने हेतु उसके शव को मल्हौसी नहर पुल के पास फेंक दिया जो दिनांक 15.06.2017 को बरामद किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्यों से अभियोजन कथानक पूर्णतः संदेह से परे साबित है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी।

11. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है जिस कारण अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

12. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विश्लेषण करने से पूर्व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को सिद्ध करने के लिए कुल 10 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं। पी.डब्लू.1 राजकुमार, वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 14.06.2017 समय करीब 7 बजे सुबह अभियुक्त कल्लू गुप्ता ने दो लड़के उसके घर भेजे और उन्होंने कहा कि आप कल्लू गुप्ता से बात कर लो। फोन पर कल्लू गुप्ता से बात की, आप मेरे घर आओ आपसे मुझे बात करनी है और वह करीब 9–10 बजे के आसपास उसके घर पहुँच गया। कल्लू गुप्ता के घर के पास सब्जी वाले उधार के पैसे लेने थे, जहाँ मुझे 2–3 घंटे का समय लग गया। कल्लू गुप्ता ने जाकर कहा कि तुम्हे बैंक में काम था तुम नहीं आ सकते हो, तो अपनी पत्नी संगीता को भेज दो। उसका काम करा दूँ और जब वह घर पहुंचा, तो घर पर कल्लू गुप्ता पहले से ही वादी के घर पहुँच गया था। उसने कहा तुम पहले आ गये हो। उसने कहा अपनी पत्नी को जल्दी भेज दो। उसने कहा तुम जाओ मैं भेज रहा हूं। कल्लू गुप्ता चला

गया उसके पीछे उसकी पत्नी संगीता भी चली गयी। जब शाम तक उसकी पत्नी नहीं आयी तब तलाश शुरु की। कल्लू गुप्ता से फोन पर पत्नी के बारे में पूछा मैं मैनेजर से पूछकर बताता हूँ। तुम्हारी पत्नी नहीं है। जब दोबारा फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। उसी दिन रात्रि 11.30 बजे कल्लू उसके घर आया तो उसने अपनी पत्नी के बारे में पूंछा तो कल्लू ने कहा सुबह तक आ जायेगी, वह अभी औरैया से आ रहा है। कल्लू गुप्ता ने बताया कि पल्सर मोटर साइकिल से फाटक पर आसू के साथ उतरी थी। उसने कल्लू गुप्ता से कहा कि तुम्हें किसने बताया उसके पास मुझे लेकर चलो। कल्लू गुप्ता ने कहा कि तुम परेशान मत हो उसे अभी औरैया जाना है। उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। उसने कहा तुम्हें जो करना है सो कर। मैं रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूं। उसके बाद कल्लू कहां चला गया। उसे पता नहीं। सड़क पर दो पुलिस वाले खड़े मिले जो गुडडू यादव अकेले से बात कर रहे थे। उसने गुडडू से कहा कि कल्लू गुप्ता उसकी पत्नी को बैंक के काम के लिये ले गया था। पत्नी उसके साथ चली गयी थी। अभी तक वापस नहीं आयी। तुम तलाश कर लो। वह सुबह रिपोर्ट लिखवा देगा। फिर वह कल्लू गुप्ता के घर गया उसके पिता बाहर सो रहे थे। कुन्डी खटखटाई तो उसकी माता ने दरवाजा खोला। उसने पूछा कल्लू अभी उसके घर पर आया था और कहां गया है। उन्होंने बताया कल्लू शाम 8 बजे ससुराल गया है। 4 बजे घर से निकल गया था। ससुराल औरैया में है। घर वापस नहीं आया। उसने कहा कि कल्लू अभी उसको मिलकर गया है। जो सफेद शर्ट, सफेद पेन्ट और लाल अंगौछा राधे-राधे पहने हुये था कहकर ससुराल औरैया जा रहा हूं। करीब 12.30 बजे रात को उसने अपने ताऊ की लड़की के मोबाइल से कल्लू गुप्ता को फोन किया तो उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी जहां होगी वहां से आ जायेगी। उसकी लड़की ने भी कल्लू गुप्ता से पूछा तो उसने वही जबाव दिया। उसने व उसकी चचेरी बहन ने मायके में पूछा तो वह वहां नहीं आयी है। दिनांक 15.06.2017 को उसकी बहिन ने कल्लू गुप्ता को फोन किया कि उसने कहा कि वह अभी ससुराल में है। अपनी लड़की को दवा दिलाकर अभी आ रहा है। उसकी बहिन से संगीता की बात कल्लू की पत्नी से हुयी तो उसने बताया कि कल्लू कहीं निकल गये है। उसने भी कल्लू की पत्नी से बात की और कहा कि वह रिपोर्ट लिखाने जा रहा है। थाने पर वह, उसके ससुर, उसका चचेरा भाई राजीव, साथ में एक दो लोग और थे। उसने थानाध्यक्ष से रिपोर्ट लिखने के लिये कहा कि तभी उसी समय थानाध्यक्ष के पास फोन आया कि किसी महिला का शव मल्हौसी के पुल के पास पड़ा है। उन्होंने उसकी पत्नी का नाम पूछा तब वह उसे पहचान के लिये अपने साथ ले गये। तब उसने पहचान की और इसी कल्लू गुप्ता ने उसकी पत्नी की हत्या करके लाश फेंक दी थी। हम लोग साथ-साथ 10 साल से सब्जी का धन्धा

करते थे। कागज संख्या 5 देखकर कहा ये वही प्रार्थनापत्र है जो उसने राजीव से लिखवाया था। जो उसे पढ़कर सुनाया गया था तब उसने अपने हस्ताक्षर किये थे। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। तथा पंचायतनामा पर उसके हस्ताक्षर हैं उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

14. पी.डब्लू–2 राजेश्वरी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 16.06.2017 को उसका पुत्र कल्लू गुप्ता उसे यह बताकर नहीं गया था कि वह साले घर जा रहा है। उसे यह भी नहीं पता कि अकरम कौन है। वह यह नहीं जानती है कि कल्लू गुप्ता ने राजकुमार की पत्नी की पिटायी की हो जिससे वह मर गयी हो उसे यह भी नहीं मालूम कि कल्लू गुप्ता उस दिन कहां गया था। या कहीं नहीं गया था। इस गवाह को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

15. पी.डब्लू.3 अभियोजन साक्षी–3 डा0 संजीव कुमार ने अपने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक–15.06.17 को वह जिला चिकित्सालय इटावा में बतौर परामर्शदाता नेत्र सर्जन के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम में लगाई गयी थी। उपरोक्त दिनांक को समय लगभग 05:35 पी.एम पर कांस्टेबल 1336 नरेश चन्द्र, हेड कां.–830 गजेन्द्र सिंह, महिला कां.–1094 दीक्षा, थाना कोतवाली कस्बा भरथना जिला इटावा, मृतका संगीता देवी पत्नी राजकुमार निवासी गोविन्द नगर, भरथना इटावा को आवश्यक कागजातों सहित पोस्टमार्टम के लिये लाये। कागजातों में पंचायतनामा जोकि मूल पत्रावली में कागज सं010 क/1, 10 क/2 में संलग्न है व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिये पत्र 10 क/3 के रूप में व 10 क/4 के रूप में RI चिट्ठी, कागज सं 10 क/5, 10 क/6 पुलिस प्रपत्र 10 क/7, 10 क/8 FIR चिक, 10 क/9 जी.डी. सं. 32, दिनांकित 15.06.2017, के साथ आये थे। प्रपत्रों के आधार पर अवलोकन करने के उपरांत उसने मृतका का पोस्टमार्टम किया था, जो इस प्रकार है– मृतका के शरीर पर वस्त्र मय दो कुण्डल(पीली धातु),तौड़िया–02, बिछिया–04(सफेद धातु), काला धागा 02 एवं टूटी हुयी कांच की चूड़ी के टुकड़े, मृत्यु पश्चात अकड़न, अपर लिंब व लोवर लिंब में मौजूद थी। Pm stanine शरीर के डिपेण्डेट पार्ट पर मौजूद थी। गुदाद्वार एवं योनि लेसिरेटिड थे।

बाह्य परीक्षण :–

1. Contusion 5x4cm, on left parietal region 4cm above left ear.
2. Multiple contusion of face.

3. Contusion 2x1cm just below right clavicle.
4. Multiple contusion right upper extremity anteriorly.
5. Multiple contusion neck right side 6cm below right ear.
6. Contusion 4x3cm left shoulder tip.
7. Multiple contusion on right side of chest below right nipple 6cm.
8. Contusion left forearm 6x4cm laterally 4cm above left wrist.
9. Multiple contusion left thigh laterally 15cm above left knee.
10. Multiple contusion on both knee joint.
11. Multiple contusion on back.
12. Lacerated wond 8x2cm on right side of perinium c̄ anus.

आंतरिक परीक्षण :– स्कैल्प जैसा पहले बताया, स्कल NAD, ब्रैन की झिल्लियां कन्जस्टड थी, दिमाग भी कन्जस्टिड एवं क्लोटिड ब्लड मौजूद था, दोनों फेंफड़े कन्जस्टिड थे। दिल में दाहिनी चैम्बर भरा, बाया खाली था। पेट में लगभग 100 ग्राम पेस्टी फूड था। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन एवं गैसें थीं। बड़ी आंत में मल एवं गैसें थीं। लीवर कन्जस्टड था, तिल्ली मल एवं गैसें थीं, दोनों गुर्दे कन्जस्टड थे। पेशाब की थैली खाली थी। यह भी कहा है कि उसकी सहयोगी डॉक्टर पल्लवी दीक्षित द्वारा वैजाइना का आंतरिक परीक्षण किया गया तथा उसके लेख को पहचानना कहा है। उनके द्वारा किया गया आंतरिक परीक्षण इस प्रकार है–"योनि में जबरदस्ती बलपूर्वक पेनिट्रेट किया गया तथा पैनीट्रेशन में निशान है। थर्ड डिग्री पेनीनियल टियर है। बच्चादानी खाली थी।"मृत्यु का समय लगभग एक दिन पूर्व था। मृत्यु का कारण कोमा है। जो कि मृत्यु पूर्व सिर में आयी चोटों के कारण है। वैजाइनल स्बैव, एनल स्बैव, प्यूबिक हेयर, नाखून, माउथ स्बैव एवं निप्पल स्बैव सील्ड लिफाफे में कन्शर्न कांस्टेबल को सौपे गये। कागज संख्या 11क/1, 11क/2, 11क/3, 11क/4,11क/5, 11क/6 लगायत 11क/11, उसके हस्तलेख में है एवं हस्ताक्षरित है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

16. पी.डब्लू–4 अभियोजन साक्षी–4 सोनू तिवारी ने अपने बयान में कथन किया कि सन 2017 की बात है। महीना जून का था। तारीख 21–22 थी। परन्तु वह तारीख के बारे में निश्चित नहीं है। वह अपने दरवाजे से मोटर साइकिल लेकर निकल रहा था। रात्रि 09:30 बजे का समय था। उसने देखा कि वैगन आर

गाड़ी जिसका नं0 यूपी 75 8515 था। गाड़ी उसके दरवाजे से निकली। उसने देखा कि गाड़ी में कल्लू गुप्ता था और एक लड़का जिसका नाम अकरम था और एक लड़की बैठी थी, लड़की कौन थी वह नहीं बता सकता हूं। ये लोग लड़की को उतारकर अपनी ससुराल चले गये थे। वह भागवत में चला गया था। सुबह को पता चला कि कल्लू गुप्ता व अकरम गांव वालों से गाली–गलौज कर रहे थे। इसके बाद गांव के लड़के गोपी ने फोन 100 नं0 पर करके पुलिस को बुलाया था। बाद में एक लड़का पकड़ गया था। कौन लड़का पकड़ा गया उसे नहीं मालूम। जिस लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गयी थी वह बाद में छूट गया था। इसी शाम को पता चला कि भरथना के पास की लड़की है उसकी इन लोगों ने हत्या कर दी है। पुलिस ने पूंछताछ की थी उसने, उन्होंने जो पूछा बताया था। उनके पूंछने पर उपरोक्त बाते बतायी थी। उन्होंने क्या लिखा वह नहीं बता सकता है। साक्षी के धारा 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया है। साक्षी ने कहा कि इसमें कुछ बातें लिखी हैं कुछ नहीं लिखी हैं।

17. पी.डब्लू.5 मीना देवी ने अपने बयान में कथन किया कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। आज से लगभग 5 वर्ष पहले की बात है। उसका दामाद कल्लू गुप्ता एक औरत को लेकर सफेद गाड़ी में लेकर आया था, तो उसने उससे कहा कि उसने इस औरत को कभी नहीं देखा है। तुम उस औरत को कहां से लाये हो। तुम उसको उसके घर इज्जत से पहुँचा कर आओ। उसने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वह उस औरत को लेकर चला गया था। उसे तीसरे दिन पता चला कि उसके दामाद कल्लू गुप्ता जिन्हें अरबिंद गुप्ता भी कहते हैं, ने उस औरत को मार डाला है। उसकी लड़की जो कल्लू गुप्ता को ब्याही थी वह उसके घर पर ही थी। सी.ओ. साहब ने उसका बयान लिखा था। वह पढ़ी लिखी नहीं है। साक्षिनी बिना पढ़ी लिखी है। साक्षिनी को धारा 161 सी. आर.पी.सी. का पढ़कर सुनाया गया। तो उसने कहा यदि उसके बयान में औरत का नाम संगीता लिखा है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती है। वह गाड़ी से लेकर आया था।गाड़ी कौन सी थी वह नहीं जानती है। उसके दामाद से औरत के 15 साल से सम्बन्ध थे। लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं थी। उसे बाद में पता चला। उसका दामाद जब उसके घर आया था तो उसने उससे पूछा था कि उसको उसके घर आये हो तो उसने कहा कि हां। लेकिन उसे 2–3 दिन बाद पता चल गया था कि उसके दामाद ने उस औरत की हत्या कर दी है। उसके दामाद को उसके सामने सुबह पुलिस पकड़कर ले गयी थी । इस समय उसकी बेटी जो कल्लू गुप्ता को ब्याही है वह उस समय दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करती है। उसके दो बच्चे हैं। एक बेटा व बेटी है। उसके दोंनो बच्चे उसके साथ रहते हैं। वही उन बच्चों को पढ़ा लिखा रही है। उसके दामाद ने जो किया है वह खुद किया है।

18. पी.डब्लू.6 निरीक्षक रजनीश कुमार ने अपने बयान में कथन किया कि दिनांक 15.06.17 को वह बतौर चौकी इंचार्ज साम्हों, थाना भरथना के पद पर तैनात था। उसी दिन उसे मृतका संगीता देवी पत्नी राजकुमार निवासी गोविन्द नगर कस्बा व थाना भरथना, जिला इटावा का पंचायतनामा भरने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसके लिये सभी कागजात उपलब्ध कराये गये थे। इन कागजातों में पंचायतनामा जिल्द नकल FIR, नकल रपट आदि प्रपत्र उपलब्ध होने के बाद वह उन्हे लेकर समय 11.5 बजे रवाना हुआ था और 11.30 बजे पहुंचकर घटनास्थल नहर किनारे ग्राम मलहौसी पहुंच कर वहां पर मृतका संगीत देवी का पंचायतनामा में हमराहियान की मदद की। महिला आरक्षी दीक्षा की मदद से शर्म हया का ख्याल रखते हुये महिला कां. दीक्षा से मृतका संगीता के शरीर का अवलोकन कराया गया तथा घटनास्थल पर मौजूद परिवारीजनों व अन्य लोगों की भीड़ में से महिला व पुलिस की मदद से शव को नहर के किनारे पर सुरक्षित कर फील्ड यूनिट, इटावा को खुलवाया गया। मृतका महिला का शव नग्न अवस्था में नहर के किनारे पानी में पड़ा था। फील्ड यूनिट की कार्यवाही के बाद मौजूद लोगों की भीड़ में से पांच पंच नियुक्त कर उसके द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी। शव की बांई कनपटी की ओर व सिर पर खून लगा था बायें कंधे पर खुरचट थी। महिला आरक्षी दीक्षा ने गुप्तांगो में ब्लड होना बताया था व दाहिनी पसली, पीठ व पुट्ठे पर जगह जगह खुरचटें बतायी थी। जो उसने पंचायतनामा में लिखी हैं। पंचों की राय में मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा था। मृत्यु का वही कारण जानने के लिये पंचो ने पोस्टमार्टम कराये जाने की राय दी थी। पंचो की राय से उसकी भी राय मेल खा रही थी। मृतका के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही करके वे शव को सील मुहर करके महिला आरक्षी 1094 दीक्षा की मौजूदगी में कां.01336 नरेश चन्द्र व होम गार्ड गजेन्द्र सिंह के सुपुर्द कर के पोस्टमार्टम कार्यवाही हेतु जिला मोर्चरी भेजा गया था। उक्त आरक्षी को सभी प्रपत्र उपलब्ध कराये गये थे। दौरान पंचायतनामा कार्यवाही शव की हुलिया दशा व कपड़ा एवं चोटें एवं समपत्ति का विवरण उसने पंचायतनामा में लिखा था। पंचातनामा कार्यवाही के उपरान्त उसने सभी पंचों के हस्ताक्षर बनबाये थे। तथा उसने होमगार्ड गजेन्द्र सिंह, कां0 नरेशचन्द्र के भी हस्ताक्षर कराये थे। पंचायतनामा उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जो पत्रावली में कागज सं.10 क/1 लगायत 10 क/2 है। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। पंचायतनामा के साथ संलग्नक प्रपत्र 10 क/3, 10 क/4, 10 क/5, 10 क/6, 10 क/7, 10 क/8, 10 क/9 है। इन सभी प्रपत्रों पर एक साथ प्रदर्श क–4 डाला गया है। सभी प्रपत्रों का प्रदर्श एक साथ पढ़ा जाये। इस घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने उसका बयान अंकित किया था।

19. पी.डब्लू.7 शिवराज, अपर पुलिस अधीक्षक ने अपने बयान में कथन किया कि दिनांक 15.06.2017 को वह बतौर क्षेत्राधिकारी भरथना के पद पर तैनात था। उसी दिन उसे अ0सं0 452/17 धारा–302/201 भा.दं.सं. व 3 (2) (5) एससी/एसटी की विवेचना प्राप्त हुई थी, जो कि थाना भरथना में अभियुक्त कल्लू गुप्ता के विरूद्ध थी। उसने विवेचना प्रारंभ करते हुये विवेचना का पर्चा नं.1 दिनांक 15.06.2017 में किता करते हुये नकल एफ.आई.आर., नकल रपट,कायमी जी.डी. नकल फर्द बयान एफ.आई.आर. लेखक कायमी मुकदमा हैड कान्सटेबल बावूराम के अंकित किये थे। उसके उपरान्त वादी मुकदमा राजकुमार दोहरे अंकित किये थे उनसे उसने प्रश्न भी पूछे थे। इसके उपरान्त वादी को अपने साथ घटनास्थल पर ले गया था तथा उसकी निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया था जो पत्रावली में कागज संख्या 6क/1 जिसमें प्रदर्श क–5 डाला गया। इस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसके द्वारा तस्दीक किया जाना कहा है। इसके उपरान्त दिनांक 16.06.2017 को पर्चा नं. 2 किता करते हुये नकल पंचायतनामा मृतक नकल पोस्टमार्टम का उतारा किया था। दिनांक 17.06.2017 को पर्चा नं. 3 किता करते हुये जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तार हेतु प्रयास करने का विवरण अंकित किया था। तथा कां. नरेश चन्द्र का बयान अंकित किया था। तथा मृतक का पंचायतनामा भरने वाले उ. नि.रजनीश यादव तथा महिला आरक्षी दीक्षा तथा पोस्टमार्टम करने वाले डॉ संडीव कुमार और डॉ पल्लवी दीक्षित के बयान अंकित किये थे। डॉ पल्लवी दीक्षित के बयान लेते वक्त उन्होंने जो बयान उसे दिया था वह इस प्रकार है, "उन्होंने मुझे बताया था कि मृतका के गुप्तांग में चोटे हैं वह चोटें आन्तरिक हैं। और इन्हें मैंने PMR में अंकित किया है। मैंने जब उनसे चोटों की पृकति के बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया था कि मृतिका के बैजाइना में फोर्सफुल पैनीट्रेशन आना थर्ड डिग्री अंकित है।" चोट की प्रकृति के आधार पर उसने प्रथम दृष्टया 376(2) I.P.C. के आधार को पाते हुये अभियोग में धारा 376(2) I.P.C. की वृद्धि की थी। दिनांक 18.06.2017 को उसने पर्चा नं.4 किता करते हुये उसने वादी के घर जाकर उसकी चचेरी बहन कुमारी संगीता, साक्षी कैलाशी देवी के बयान दर्ज करने के उपरान्त अभियुक्त कल्लू गुप्ता के घर गया वहां पर उसकी मां राजेश्वरी देवी गुप्ता, गवाह शमसुद्दीन व कल्लू गुप्ता अभियुक्त की सास श्रीमती मीना देवी तथा साक्षी राजकुमार, सोनू तिवारी के बयान अंकित किये। विवेचना में साक्षी ने पाया कि कल्लू गुप्ता के अलावा इस अपराध में अकरम की संलिप्तता भी उजागर होने पर उन्हें भी अभियुक्त बनाया था। इसके उपरान्त पर्चा नं. 4 में ही उसने घटना में प्रयुक्त वाहन गाडी नं. UP75W/8515 जो सफेद रंग की साक्ष्य में आया था बरामद करने हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया था। इसके उपरान्त पर्चा नं. 5 दिनांक

21.06.2017 को किता कर थाना भरथना से गिरफ्तार अकरम की सूचना मिलने पर उसका बयान अंकित किया था। बयान में उसने अपराध में संलिप्तता होने व अपनी गाड़ी नं. UP75W/8515 के माध्यम से मृतिका को ले जाना तथा अभियुक्त कल्लू गुप्ता के साथ मृतका को मारना तथा मृतका संगीता के कपड़े जलाने के स्थान पर ले जाकर जले हुये कपड़े बरामद कराये थे। जिस स्थान से जले हुये कपड़े बरामद हुये थे। उस स्थान का नक्शा नजरी 6 क/2 पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया तथा जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसकी साक्षी ने तस्दीक किया तथा फर्द तैयार की थी जिसकी फर्द बरामदगी पत्रावली पर कागज संख्या 8 क/2 है। फर्द पर साक्षी ने अपने भी हस्ताक्षर होना कहा है तथा अभियुक्त अकरम व दो साक्षियों के हस्ताक्षर भी उसने कराये थे जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। उसके उपरान्त अभियुक्त अकरम को न्यायालय में पेश किया था। दिनांक 22.06.17 को पर्चा नं.6 में न्ययालय से अनुरोध कर अभियुक्त कल्लू गुप्ता के विरुद्ध NBW का आदेश प्राप्त किया था। आगे यह भी कहा है कि पर्चा नं. 7 दिनांक 30.06.2017 व पर्चा नं. 8 दिनांक 05.07.2017 में उसके द्वारा अभियुक्त कल्लू गुप्ता की गिरफ्तारी के प्रयास अंकित किये गये। उसके उपरान्त साक्षी ने अपना स्थानान्तरण गैर जनपद में होना तथा विवेचना अन्य क्षेत्राधिकारी को ट्रांसफर किया जाना कहा है।

20. पी.डब्लू.8.सेवानिवृत्त एस. आई. बाबूराम ने अपने बयान में कथन किया कि दिनांक 15.06.2017 को में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात था। उसी दिन उसके थाने पर एक किता तहरीर लेकर वादी राजकुमार पुत्र काशीराम निवासी मौहल्ला गोविन्द नगर कस्वा व थाना भरथना, जिला इटावा उसके पास लेकर आये थे। उनके साथ मनीष कुमार पुत्र अमर सिंह, रामबावू पुत्र मेवाराम, राजीव पुत्र कुंवरपाल लेकर आये थे। इसमें राजीव कुमार तहरीर लेखक में उनका नाम अंकित था। प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश के अनुसार उसने कम्प्यूटर क्लर्क से शब्द ब शब्द बोलकर टाइप करायी थी। उसने कम्प्यूटर के हार्ड डिस्क में सुरक्षित कराकर उसका प्रिन्ट आउट निकलवाया था। प्रिंट आउट निकलवाकर एक कागज को सत्यापित कराकर एक कापी वादी को भी दी थी। उपरोक्त प्रकरण का हवाला उसने जी.डी. संख्या 32 दिनांक 15.06.2017 समय 11.05 पर तस्करा कराकर हार्ड डिस्क सुरक्षित कराया था तथा प्रिन्ट आउट निकलवाया था। तथा उच्च अधिकारियों को सूचना दी थी। सभी प्रपत्रों के साथ विवेचना अधिकारी, सी.ओ. साहव को भरथना भिजवाने का निर्देश दिया था। कम्प्यूटर से निकाली गयी प्रिन्ट आउट की कोई द्वितीय प्रति नहीं होती है। सभी प्रतियां एक समान होती हैं। मूल पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 क/1 लगायत 4 क/2 उसके सामने है जिस पर थाना प्रभारी के

हस्ताक्षर हैं जो सही हैं। जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया है। इसी क्रम में पत्रावली में शामिल कागज संख्या 10 क/4 इस मुकदमा की जी.डी. पत्रावली में शामिल है। थाने की मुहर चस्पा है । जिसपर प्रदर्श क–9 डाला गया है। इस सम्बन्ध में विवेचक ने उसका बयान लिया था।

21. पी.डब्लू.9 विकास कुमार जायसवाल, क्षेत्राधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उपरोक्त अपराध की विवेचना इससे पूर्व उसके समकक्ष साथी शिवराज सिंह कर रहे थे। उसने दिनांक 20.07.2017 से पूर्व क्षेत्राधिकारी भरथना के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। दिनांक 20.07.2017 को उपरोक्त अपराध की शेष विवेचना उसने शुरू की थी। उस दिन उसने पूर्व में की गयी विवेचना का सम्पूर्ण अवलोकन किया था। उसके वाद पर्चा नं. 10 दिनांक 20.07.2017 को भी किता करते हुये उसने विवेचना ग्रहण की थी। उसने उसका ब्यौरा अंकित किया था। दिनांक 29.07.2017 को पर्चा नं.10A किता किया था परन्तु सहवन (भूलवश) दिनांक 29.07.2017 के पर्चा में भी पर्चा नं. 10 अंकित हो गया। दिनांक 29.07.2017 भी घटनास्थल पर गया था और वहां पर जाकर उसने नक्शा नजरी अपने निर्देशन में बनवाया था जो मूल पत्रावली में कागज संख्या 6 क/3 है। उस पर प्रदर्श क–10 डाला गया जिस पर उसके ही हस्ताक्षर हैं। उसके उपरान्त उसने बयान गवाह फर्द ज्ञानेन्द्र अंकित किया था। उसके उपरान्त अन्य फर्द के गवाह रामबाबू व राहुल कुमार के भी बयान अंकित किये थे तथा बयान गवाह का. जावेद अली के बयान अंकित कर उस दिन भी विवेचना समाप्त कर दी थी। दिनांक 30.07.2017 को पर्चा नं. 11 में उसने बयान गवाहान पंचायतनामा मनीष कुमार, इन्दल सिंह, धर्म सिंह आदि अंकित कर पर्चा किता था। दिनांक 03.08.2017 को कां0 नरेश चन्द्र के बयान अंकित किये थे। यह पर्चा नं. 12 उसने दिनांक 03.08.2017 को किता किया था। पर्चा नं. 13 दिनांक 06.08.2017 को किता करते हुये बयान वादी का ब्यौरा सम्पूर्ण विवेचना का अवलोकन कर उसने संकलित किये गये साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त कल्लू पुत्र राजेन्द्र गुप्ता,2. अकरम खां पुत्र नसीर खां के विरुद्ध धारा 302,201,व 376(2) आई.पी.सी. 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट साबित होने पर आरोप पत्र संख्या 231/17 दिनांक 06.08.2017 को न्यायालय में प्रेषित किया था। जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। जो मूल पत्रावली में शामिल कागज संख्या 3 क/1 लगायत 3 क/4 है। इस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। आरोप पत्र के उपरान्त उसने इसी अपराध से सम्बन्धित SCD एक दिनांक 16.09.2017 को किता करते हुये थानाध्यक्ष को परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया था। दिनांक 22.09.2017

को SCD–2 पे भी उसने विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परिणाम मंगाये जाने हेतु SHO भरथना को रिमाइन्डर किया था, का उल्लेख किया था। पर्चा नं. SCD–3 दिनांक 06.10.2017 को इस बात का उल्लेख किया था कि अपराध से सम्बन्धित जो माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था उसकी प्राप्ति की रसीद का उल्लेख किया था। SCD–4 दिनांक 29.04.2018 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परिणाम प्राप्त होने पर उसका अवलोकन कर उसमें परिणाम का ब्यौरा अंकित कर SCD के सभी पर्चा के साथ न्यायालय को प्रेषित किया था। FSL का परिणाम मूल पत्रावली में शामिल कागज नं. M65479 पर उल्लिखित किया गया है। जिस पर प्रयोगशाला की मुहर व हस्ताक्षर अंकित हैं। यही रिपोर्ट उसे प्राप्त हुयी थी। जो पत्रावली में आज उसके सामने है। जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया।

22. पी.डब्लू.10 ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ने अपने बयान में कथन किया कि दिनांक–21.06.2017 को वह थाना भरथना में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। इसी दिनांक को उसने अभियुक्त अकरम खां गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी करने के उपरान्त उसने अभियुक्त अकरम खां से पूछताछ के दौरान उसके द्वारा अपराध को स्वीकार किया गया था। उसने यह भी बताया था कि इस अपराध में कल्लू गुप्ता भी उसके साथ था। इस पर उसने थाने पर पूछताछ की थी और उसी का तस्करा 39 दिनांकित 21.06.17 समय 15.45 पर अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान के लिए उसे साथ लेकर व सी.ओ. के हमराह होकर अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल से 500 मीटर नहर पुल पटरी पर सड़क पार करके वाहरपुरा पुल जाने वाले नहर पटरी मार्ग सड़क किनारे जलाये गये स्थल से जली हुयी साड़ी नगदार जिसमें कुछ हिस्सा पीली साड़ी का भी है, बरामद कराया था। अभियुक्त अकरम ने बताया कि यह वही जली हुयी साड़ी व कपड़े है जो मृतका संगीता के हैं। जो मारकर डालने से पहले उतार लिये गये थे। यह कपड़े उसने व कल्लू गुप्ता दोनों ने उतारे थे। बरामदशुदा कपड़े व साडी की फर्द व जली हुयी मिट्टी व सादा मिट्टी अलग–अलग डिब्बों में रखकर सील मुहर की थी। यह फर्द व सीलमुहर उसने गवाहान माधौराम , प्रेम शंकर तथा अभियुक्त अकरम की मौजूदगी में तैयार की थी और उनके हस्ताक्षर कराये थे। फर्द मूल पत्रावली में शामिल 8 क/2 है। यह फर्द सी.ओ., भरथना की मौजूदगी में उसने उनके निर्देश पर अपने हस्तलेख में तैयार की थी जिसे साक्षी ने तस्दीक किया जाना कहा है। इस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा अभियुक्त अकरम, साक्षी प्रेमशंकर, माधवराम के भी हस्ताक्षर हैं तथा सी.ओ.के भी हस्ताक्षर हैं। यह भी कहा है कि 8 क/2 को पूर्व में सी.ओ. के द्वारा साबित किया जा चुका है और प्रदर्श क–7 डाला जा चुका है। उस फर्द की जी.डी. पत्रावली में कागज संख्या 12 ख/5 वापसी

गिरफ्तार अभियुक्त मौजूद है एवं तस्करा पूछताछ अभियुक्त अकरम 12 ख/1 व 12 ख/2 पत्रावली में शामिल है। साक्षी ने दिनांक–11.07.2017 को इसी अपराध संख्या से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कल्लू गुप्ता उर्फ अरविन्द की गिरफ्तारी उसने सी.ओ. के निर्देशन में किया जाना कहा है एवं उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद डण्डा लकड़ी का अभियुक्त कल्लू गुप्ता की निशानदेही पर दिनांक 11.07.2017 को, जहां पर मृतका संगीता के कपड़े जलाये गये थे उसी जगह लगभग 15 कदम झाड़ियों के पास से अभियुक्त ने उठाकर दिया था था और कहा था कि यही वह डण्डा है जिससे मृतका की पिटाई कर हत्या की थी, बरामद किया था एवं गवाहान व अभियुक्त के समक्ष अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी तथा साक्षी मुलायम सिंह व ब्रजेश कुमार व हमराहियान जावेद अली, राहुल आदि के हस्ताक्षर बनाये थे। अभियुक्त को फर्द पढ़कर सुनायी थी उसके बाद उसके हस्ताक्षर कराये थे। जो मूल पत्रावली में कागज संख्या 8 क/1 संलग्न है उस पर प्रदर्श क–12 डाला गया एवं माल हत्या में प्रयुक्त डण्डा खोला गया। जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। इसी प्रकार जले हुए साड़ी के टुकड़े व मिट्टी के डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। नमूना मुहर दिनांक 11.07.2017 संलग्न है जिस पर अभियुक्त कल्लू उर्फ अरविन्द के हस्ताक्षर है। जो पत्रावली में कागज संख्या 9 क है जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया । इस घटना के सम्बन्ध में सी. ओ. ने उसके बयान अंकित किये थे। उसने उन्हें अपने बयान अंकित कराये थे।

निष्कर्ष

23. अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप है कि दिनांक 14.06.2017 को समय 03.00 बजे दिन व स्थान रास्ता भरथना व मल्हौसी नहर पुल के पास, थाना भरथना, जिला इटावा में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा राजकुमार दोहरे की पत्नी संगीता, जो कि जाटव अनुसूचित जाति की है, अभियुक्तगण गैर अनुसूचित जाति के हैं, जब बैंक जा रही थी, तो उसे रास्ते से अन्य लोगों के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में अपने साथ ले गये और उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्कार कारित कर डण्डे से मारपीट कर उसकी हत्या कारित कर दी तथा साक्ष्य का विलोपन करने हेतु उसके शव को मल्हौसी नहर पुल के पास फेंक दिया जो दिनांक 15.06.2017 को बरामद किया गया।

24. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 14.06.2017 को दिन के करीब 3 बजे वादी मुकदमा की पत्नी संगीता बैंक खाता खुलवाने के लिए घर से गयी थी। कल्लू गुप्ता (अभियुक्त) का वादी मुकदमा की पत्नी के पास घर में आना जाना था तथा अभियुक्त कल्लू वादी मुकदमा का दोस्त है। जब वादी मुकदमा की पत्नी बैंक

के लिए गयी तो रास्ते में कल्लू उसके साथ हो गया। कल्लू ने रात घर आकर कहा कि तुम्हारी पत्नी संगीता को सुबह तक पहुँचा दूंगा। वादी मुकदमा की पत्नी के कल्लू से सम्बन्ध बन गये थे जिस कारण वादी मुकदमा को जलन रहती थी। वादी मुकदमा की पत्नी जब सुबह तक वापस नहीं आयी और उसे तलाशने लगे तो राहगीरों से पता चला कि मल्हौसी नहर पुल के पास एक औरत की लाश पड़ी है जहां पहुँचकर वादी मुकदमा ने देखा लाश उसकी पत्नी संगीता की थी।

25. प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.06.2017 में समय 11.05 मिनट सुबह पंजीकृत करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार थाने पर तहरीर प्रस्तुत करने से पूर्व वादी मुकदमा को उसकी पत्नी की मृत्यु की जानकारी हो गयी थी और उसने स्वयं अपनी पत्नी की लाश देख ली थी। मृतका संगीता का शव विच्छेदन दिनांक 15.06.2017 में समय 5.43 पी .एम. पर किया गया तथा शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु का संभावित समय करीब एक दिन पूर्व (अर्थात 14.06.17 समय तीन बजे से शाम के 6.00 बजे के मध्य)पाया गया। मृतका के कपड़े दिनांक 21.06.2017 को सह अभियुक्त अकरम की निशानदेही पर बरामद किये गये तथा घटना कारित करने में प्रयुक्त किया गया डण्डा अभियुक्त कल्लू की निशानदेही पर दिनांक 11.07.2017 में बरामद किया गया।

26. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन मात्र से ही स्पष्ट होता है कि वादी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। किसी भी व्यक्ति द्वारा घटना कारित होते हुए नहीं देखा गया है। चूंकि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। ऐसे मामलों में न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सूक्ष्म परिशीलन करने के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुँचना होता है। इन मामलों में न्यायालय को यह भी देखना होता है कि क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर घटना से सम्बन्धित प्रत्येक कड़ी जुड़ रही है अथवा नहीं, और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एक मात्र यह निष्कर्ष निकलता है कि घटना अभियुक्त द्वारा ही की गयी है किसी अन्य द्वारा नहीं। **नथिया बनाम राज्य (2016)10 एस.सी.सी. 298** एवं **भीम सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य (2015)4 एस.सी.सी. 281** विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं–

1.जिन परिस्थतियों के आधार पर घटना के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालना है वह पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए न की उनकी संभावना होनी चाहिए।

2. जिन तथ्यों को स्थापित किया गया है वे इतने सुसंगत होने चाहिए कि उनसे केवल अभियुक्त का दोष ही साबित हो। इनमें अभियुक्त के दोष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की संभावना नहीं होनी चाहिए।

3. परिस्थितियां मौलिक प्रकृति एवं प्रकार की होनी चाहिए।

4. उनसे केवल एक ही परिकल्पना साबित होनी चाहिए अन्य कोई नहीं।

5. साक्ष्य की प्रत्येक कड़ी इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि उससे अभियुक्त की निर्दोषित के सम्बन्ध में किसी प्रकार का तार्किक आधार नहीं निकलना चाहिए और एक मात्र यह निष्कर्ष आना चाहिए कि प्रत्येक मानवीय संभावनाओं के अन्तर्गत अपराध केवल अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है।

27. प्रस्तुत प्रकरण जो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है जिसमें अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए यह अपेक्षित है कि घटना की प्रत्येक कड़ी एक–दूसरे से आपस में जुड़ी हुयी हो जिससे एक ही निष्कर्ष निकलता हो कि घटना अभियुक्त द्वारा कारित की गयी है किसी अन्य के द्वारा नहीं। अब देखना यह है कि क्या अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन मामले से जुड़ी घटनाओं की कड़ी–से–कड़ी मिलाने में सफल रहा है अथवा नहीं?

28. अभियोजन के अनुसार मृतका संगीता देवी बैंक वादी मुकदमा के सामने घर से गयी थी। अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से तथ्य के कुल चार साक्षी पी.डब्लू.1 वादी मुकदमा, पी.डब्लू.2 राजेश्वरी, पी.डब्लू.4 सोनू तिवारी एवं पी.डब्लू.5 मीनादेवी परीक्षित कराये गये हैं। पी.डब्लू.1 जो कि वादी मुकदमा भी है, ने मुख्य परीक्षा में अपनी पत्नी मृतका संगीता को दिनांक 14.06.2017 में समय करीब तीन बजे पी.एम. बैंक के काम से जाना बताया है। इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा द्वारा मुख्य परीक्षा में यह भी कहा है कि जब उसकी पत्नी दिनांक 14.06.17 में शाम तक वापस नहीं आयी तब उसकी तलाश शुरू की। उसने अभियुक्त कल्लू गुप्ता से फोन कर पत्नी के बारे में पूछा था। उसी दिन रात्रि 11.30 बजे अभियुक्त कल्लू उसके घर आया तब भी वादी ने कल्लू से अपनी पत्नी के बारे में पूछा तब अभियुक्त ने कहा था कि सुबह तक आ जायेगी। कल्लू गुप्ता ने यह भी बताया था कि वादी मुकदमा की पत्नी पल्सर मोटर साइकिल से फाटक पर आसू के साथ उतरी थी। इसके उपरान्त वादी मुकदमा कल्लू के घर गया था। कल्लू के पिता बाहर सो रहे थे। कल्लू की माता जी ने बताया कि कल्लू शाम आठ बजे से ससुराल गया है। चार बजे घर से निकल गया था। वादी मुकदमा द्वारा मुख्य परीक्षा में यह भी कहा गया है कि उसने थानाध्यक्ष से रिपोर्ट लिखने के लिए कहा था तभी उसी समय थानाध्यक्ष के पास फोन आया कि किसी महिला का शव मल्हौसी के पुल के पास पड़ा

है। थानाध्यक्ष ने उसकी पत्नी का नाम पूछा तब वह पहचान के लिए गया था। वादी मुकदमा द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 है पर अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करते हुए तहरीर उसके तहेरे भाई राजीव द्वारा लिखना बताया है।

29. वादी मुकदमा का बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित अभियोजन कथानक से मेल नहीं खाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा को अपनी पत्नी की मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने से पूर्व हो गयी थी। जब कि मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा द्वारा यह कहा गया है कि जब वह रिपोर्ट लिखाने थाने गया था उसी समय थानाध्यक्ष के पास किसी का फोन आया था जिसके उपरांत वह पहचान के लिए थानाध्यक्ष के साथ मौके पर गया था तब उसने अपनी पत्नी की लाश देखी थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा अभियुक्त कल्लू से घनिष्ठ दोस्ती होना स्वीकार किया है तथा कथन किया है कि उसने एफ.आई.आर दो–चार लोगों की राय लेकर लिखायी थी। इंसपेक्टर साहब रिपोर्ट बताते गये और उसका चचेरा भाई लिखता गया। लिखने के बाद इंसपेक्टर ने एफ.आई.आर. पर दस्तखत करा लिये थे। उसने अपनी पत्नी व कल्लू के सम्बन्धों को भी इंसपेक्टर को बता दिया था।

30. प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसकी कल्लू से फोन पर बात हुयी थी बात होने के बाद एक घंटे बाद कल्लू के घर गया था वह रास्ते में रूका नही था। कल्लू के घर वह सवा दस बजे के लगभग पहुँच गया था। वह सभी बैठे–बैठे कल्लू गुप्ता के दरवाजे बातचीत करते रहे थे। एक–दूसरे से आपस में बातचीत करते हुए दिन के ढाई बज गये थे। वह ढाई बजे वापस अपने घर पहुँचा था उसके घर पहुँचने के बाद उसकी पत्नी ने खाना बनाया उसने खाना खाया, खाना खाने में लगभग बीस मिनट का समय लगा था उसकी पत्नी घर से सवा तीन बजे गयी थी। कल्लू गुप्ता के जाने के दस मिनट बाद घर से गयी थी। उसके बच्चों ने शाम के करीब सात बजे बताया था कि उसकी पत्नी नहीं आयी है। पता लगने के बाद वह करीब दो घंटे तक अड़ोस–पड़ोस बाजार में ढूंढता रहा और इसी बीच कल्लू से बात करता रहा परन्तु कल्लू का फोन बंद आ रहा था। कल्लू ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी जहां पर होगी ढूंढ़कर लाकर दूंगा चाहे पाताल में हो। इस साक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि वह रात में करीब 12 बजे कल्लू के घर गया था कुण्डी खटखटायी थी, कल्लू के पिता से उसकी बात हुयी थी। पांच दस मिनट कल्लू के पिता से बात कर वह वापस आ गया था।

31. यदि वादी मुकदमा के बयान की समीक्षा की जाये तो स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के बयान में परस्पर विरोधाभास है। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम

सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने से पूर्व वादी मुकदमा को अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो चुकी थी तथा उसने अपनी पत्नी की लाश भी देख ली थी जब कि न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये बयान में वादी मुकदमा द्वारा यह कहा गया है कि जब वह एफ.आई.आर कराने थाने गया था तब थानाध्यक्ष के पास किसी का फोन आया था तब उसे अपनी पत्नी की लाश के बारे में जानकारी हुयी। इसके अतिरिक्त एक स्थान पर इस साक्षी द्वारा यह कहा गया कि दिनांक 14.06.17 में रात्रि करीब साढ़े ग्यारह बजे कल्लू उसके घर आया और उसके बाद वह कल्लू के घर गया जहां पर उसकी बातचीत कल्लू की माताजी से हुयी थी। कल्लू के पिताजी सो रहे थे। जब कि बयान के दूसरे अंश में साक्षी द्वारा यह कहा है कि जब वह रात्रि में अभियुक्त कल्लू के घर गया था तो उसकी बात कल्लू के पिता से पांच–दस मिनट हुयी थी और कल्लू के पिता से बात करके वह वापस आ गया था। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्त कल्लू के उसके घर से जाने के करीब दस मिनट बाद उसकी पत्नी घर से गयी थी तथा यह भी कहा है कि यह सही है कि उसकी पत्नी उसके सामने कल्लू गुप्ता के साथ नहीं गयी थी। हालांकि किसी भी साक्षी द्वारा घटना कारित होते हुए नहीं देखा गया है। परन्तु अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा की पत्नी संगीता अभियुक्त कल्लू के साथ बैंक गयी थी। जहां से वह लौटकर वापस नहीं आयी। यदि यह मान भी लिया जाये कि वादी मुकदमा की पत्नी मृतका संगीता अभियुक्त कल्लू के साथ दिनांक 14.06.17 में समय करीब तीन बजे कल्लू के पीछे–पीछे बैंक गयी थी तो उस दशा में भी अभियोजन कथानक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया है कि यदि वादी मुकदमा द्वारा अपनी पत्नी को कल्लू गुप्ता के साथ जाते हुए नहीं देखा गया था तो उसे कैसे पता चला कि रास्ते में कल्लू उसकी पत्नी के साथ हो गया। वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस व्यक्ति द्वारा उसे इस सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी कि बैंक जाते समय वादी की पत्नी के साथ कल्लू हो गया था।

32. वादी के बयान से अभियोजन केवल यह सिद्ध कर पाया है कि दिनांक 14.06.17 में उसकी पत्नी बैंक के कार्य से घर से गयी थी जिसकी लाश दिनांक 15.06.17 में दिन के करीब 11.05 मिनट पर मिली थी। वादी मुकदमा की पत्नी का अभियुक्त कल्लू के साथ जाना तथा अंतिम बार अभियुक्त कल्लू के साथ देखे जाने के बिन्दु को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से पी.डब्लू.2 के रूप में राजेश्वरी पत्नी राजेन्द्र बाबू को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी अभियुक्त कल्लू की माता है इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक के विपरीत बयान दिया है तथा कथन किया है कि दिनांक 16.06.17 को उसका पुत्र कल्लू उसे यह

बताकर नहीं गया था कि वह कहां पर जा रहा है उसे यह भी नहीं पता कि अकरम कौन है। वह यह भी नहीं जानती कि कल्लू गुप्ता ने राजकुमार की पत्नी की पिटाइ की थी जिससे वह मर गयी। उसे यह भी नहीं पता कि उस दिन कल्लू कहां गया था। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी के बयान में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे अभियोजन कथानक की किसी प्रकार की पुष्टि होती हो। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

33. पी.डब्लू.4 सोनू तिवारी, वह साक्षी है जिसके द्वारा अभियोजन ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इस साक्षी द्वारा अंतिम बार अभियुक्तगण को वादी मुकदमा की पत्नी के साथ देखा गया था इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि 2017 की बात है, महीना जून का था, तारीख 21–22 थी। वह अपने दरवाजे से मोटर साइकिल लेकर निकल रहा था।रात्रि 9.30 बजे का समय था। उसने देखा कि वैगन आर गाड़ी, जिसका नम्बर यू.पी.75–8515 था, गाड़ी में कल्लू गुप्ता था और एक लड़का था जिसका नाम अकरम था और एक लड़की बैठी थी, लड़की कौन थी वह नहीं बता सकता। वह लोग लड़की को उतारकर अपनी ससुराल चले गये थे। वह भागवत में चला गया था। इसी शाम को उसे पता चला कि लड़की भरथना के पास की रहने वाली है तथा इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी है।

34. हालांकि इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को वादी मुकदमा की पत्नी के साथ 21–22 जून 2017 में देखा जाना बताया है। यह सही है कि कथित घटना दिनांक 14.06.17–15.06.17 के मध्य की है। चूंकि साक्षी का बयान कथित घटना के पांच वर्ष उपरांत अंकित किया गया ऐसे में घटना की तिथि का निश्चित रूप से याद न रहना संभव है। परन्तु उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि जिस लड़की को इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के साथ देखा जाना बताया है वह लड़की कौन थी उसकी पहचान इस साक्षी द्वारा प्रकट नहीं की गई है। प्रतिपरीक्षा में भी इस साक्षी ने यह कहा है कि लड़की गाड़ी के अन्दर बैठी थी उसे वह नहीं जानता है उसने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, न ही उसे पहचानता था और बाद में भी नहीं देखा था। भागवत कथा उसके घर से सात सौ मीटर दूर पश्चिम दिशा में हो रही थी। दो दिन बाद उसे जानकारी हुयी कि लड़की मर गयी है वह लड़की कौन थी, कहां की थी, न ही वह उसे पहचानता था तथा न ही वह उसे देखने गया था। बयान के एक अंश में इस साक्षी द्वारा अभियुक्त अकरम के विषय में यह बयान दिया है कि दूसरा नाम जो उसने अभियुक्त का बताया था वह उसने कभी नहीं देखा। अकरम से उसकी कभी बातचीत नहीं हुयी थी।

35. इस साक्षी के बयान से भी यह सिद्ध नहीं होता है कि जिस लड़की को इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के साथ दिनांक 14.06.17 में रात्रि करीब साढ़े नौ बजे देखा जाना बताया है वह वादी मुकदमा की पत्नी मृतका संगीता ही थी। यदि यह साक्षी अभियुक्तगण के साथ मौजूद लड़की को नहीं पहचानता था, तो विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी की मृत्यु के उपरांत भी इस साक्षी से उसकी पहचान करायी जा सकती थी अथवा किसी फोटो के माध्यम से भी पहचान कराया जाना संभव था परन्तु विवेचक द्वारा इस ओर कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस साक्षी के बयान से यदि यह मान भी लिया जाये कि उसने किसी महिला को अभियुक्तगण के साथ देखा था, तो पहचान के अभाव में यह तथ्य साबित नहीं हो जाता कि जिस महिला को पी. डब्लू.4 द्वारा देखा गया था वह महिला मृतका संगीता थी।

36. साक्षी पी.डब्लू.5 के रूप में श्रीमती मीनादेवी को परीक्षित कराया गया है। मीनादेवी अभियुक्त कल्लू की सास है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि आज से लगभग पांच वर्ष पहले उसका दामाद कल्लू गुप्ता एक औरत को लेकर सफेद गाड़ी में आया था तो उसने कहा था कि उसने इस औरत को कभी नहीं देखा है तुम इस औरत को जहां से लाये हो इज्जत से पहुँचाकर आओ । साक्षी ने उसे घर में घुसने नहीं दिया उसके बाद वह उस औरत को लेकर चला गया। साक्षी द्वारा यह भी कहा है कि तीसरे दिन उसे पता चला कि कल्लू ने उस औरत को मार डाला।

37. उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि साक्षी ने घटना की दिनांक व समय का उल्लेख अपने बयान में नहीं किया है तथा न ही अभियुक्त कल्लू के साथ किसी अन्य व्यक्ति(अकरम) को देखा जाना बताया है। जब इस साक्षी को धारा 161 द.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि–"यदि मेरे बयान में औरत का नाम संगीता लिखा है तो मैं उसकी वजह नहीं बता सकती।" साक्षी का यह बयान स्वयं यह इंगित करता है कि विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में इस साक्षी ने विवेचक को भी मृतका का नाम संगीता नहीं बताया था। परन्तु इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त कल्लू के उस महिला से 15 साल से सम्बन्ध थे परन्तु उसे उसकी जानकारी नहीं थी।

38. अभियुक्त अकरम खां की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि उसका दामाद औरत को लिए चौराहे पर खड़ा था उस औरत को वह नहीं पहचानती है। कल्लू गुप्ता के साथ उस औरत के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देखा था। चौराहे से दूर एक गाड़ी को देखा था गाड़ी सफेद थी जिसके शीशे काले थे। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसको वह नहीं जानती है। गाड़ी में काला शीशा लगा होने के कारण वह और किसी को नहीं देख पायी थी उसने कल्लू गुप्ता को चौराहे से ही

लौटा दिया था। कल्लू गुप्ता उसके घर नहीं आया था न ही उसके दरवाजे पर कोई आया था। अभियुक्त कल्लू की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा न किये जाने के कारण अभियुक्त कल्लू का इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा का अवसर दिनांक 29.09.2025 में समाप्त कर दिया था। यदि इस साक्षी के बयान को दृष्टिगत रखा जाये तो इस साक्षी के बान में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास स्पष्ट होता है। बयान के एक अंश में इस साक्षी द्वारा यह कहा है कि कल्लू एक महिला को लेकर उसके दरवाजे पर आया था जब कि दूसरे अंश में यह कहा है कि कल्लू गुप्ता दूर चौराहे पर खड़ा था। जिस गाड़ी में कल्लू गुप्ता था उसके शीशे काले थे। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह भी नहीं बताया है कि उसके घर से चौराहे की दूरी कितनी थी और यदि इस साक्षी द्वारा अपने घर से चौराहे पर खड़ी गाड़ी को देखा था तो क्या रात्रि करीब 9.30–10.00 बजे के मध्य रोशनी के अभाव में काले शीशों में दूर से किसी व्यक्ति को पहचानना सामान्यतः संभव नहीं है और यदि यह मान भी लिया जाये कि इस साक्षी द्वारा चौराहे से ही अभियुक्तगण को लौटा दिया गया था तो अवश्य ही इस साक्षी तथा अभियुक्तगण के मध्य दूरी बहुत कम रही होगी।

39. अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि बिना किसी सूचना व कारण के यह साक्षी अपने घर से दूर चौराहे पर क्या कर रही थी? इसके अतिरिक्त यदि इन सब विरोधाभास को नजरअन्दाज भी कर दिया जाये तो भी इस साक्षी द्वारा सह अभियुक्त अकरम के विषय में कुछ नहीं कहा है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा अपने बयान में ही यह स्पष्ट किया है कि विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में संगीता नामक महिला का उल्लेख कैसे आया वह इसकी वजह नहीं बता सकती। इस साक्षी के बयान से संदेह से परे यह भी साबित नहीं होता है कि दिनांक 14.06.17 में रात्रि करीब 9.30–10.00 बजे के मध्य जिस महिला को अभियुक्त कल्लू के साथ देखा जाना बताया गया वह वादी मुकदमा की पत्नी थी। इस साक्षी से भी दौरान विवेचना किसी प्रकार से मृतका की कोई पहचान नहीं करायी गयी है।

40. अभियोजन कथानक के अनुसार मृतका का शव–विच्छेदन दिनांक 15.06.17 में शाम 5.45 मिनट पर किया गया। शव–विच्छेदन के समय मृतका के शरीर पर चिकित्सक द्वारा कुल 12 चोटें उल्लिखित की गयी हैं। जिनका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है तथा मृत्यु का संभावित समय करीब एक दिन पूर्व (अर्थात 14.06.17 3.00 पी.एम. से 6.00 बजे शाम के मध्य) मृत्यु होना उल्लिखित किया गया है तथा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व हैड इंजरी होना बताया गया है।

41. शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श –2 के अनुसार मृतका संगीतादेवी की मृत्यु दिनांक 14.06.17 में तीन बजे से शाम छह बजे के मध्य होना प्रतीत होती है।

जिसमें साक्षी के अनुसार चार से छह घंटे का अन्तर हो सकता है। चूंकि दिनांक 14.06.17 मेंदिन के तीन बजे मृतका का घर से जाना बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में यदि मृत्यु के संभावित समय में कुछ समय अंतर हो भी सकता है तो वह छह बजे के उपरांत हो सकता है। यदि छह घंटे में चार घंटे का और विस्तार किया जाये तो मृतका की मृत्यु दिनांक 14.06.17 में रात्रि करीब 10 बजे तक होना संभव है।

42. स्वीकृत तथ्य है कि मृतका की लाश मल्हौसी नहर के पुल के पास जनपद इटावा से बरामद की गयी है। यदि अभियुक्तगण वादी मुकदमा की पत्नी को जनपद इटावा की सीमा से जनपद औरेया लेकर गये थे तो इस सम्बन्ध में हाई–वे मौजूद टोल पर स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरे से भी वादी मुकदमा की पत्नी तथा अभियुक्तगण की एक साथ उपस्थिति के सम्बन्ध में साक्ष्य एकत्रित किया जा सकता था परन्तु अभियोजन की ओर से इस सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

43. हालांकि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया है कि साक्षी पी.डब्लू.4 तथा पी.डब्लू.5 द्वारा 9.30 से 10.00 बजे के मध्य जिस महिला को अभियुक्तगण के साथ देखा गया था वह महिला वादी मुकदमा की पत्नी थी परन्तु यदि फिर भी यह मान भी लिया जाये तो भी यह संभव नहीं है कि 9.30 बजे के बाद औरेया जनपद में अभियुक्तगण के साथ वादी मुकदमा की पत्नी को जीवित देखे जाने के उपरांत अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर दस बजे तक उसकी हत्या कर लाश जनपद इटावा में मल्हौसी नहर के पास फेंकी जा सके। जनपद इटावा से जनपद औरेया की दूरी करीब 60 किलोमीटर है जिसे तय करने में सामान्यतया 45 मिनट का समय लगता है।

44. पी.डब्लू.6 के रूप में निरीक्षक रजनीश कुमार को परीक्षित कराया गया है इस साक्षी द्वारा पंचायतनामा को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार करना कहते हुए प्रदर्श क–3 के रूप में विधिवत साबित किया है तथा अपने बयान में कथन किया है कि उसे घटनास्थल पर कोई आलाकत्ल बरामद नहीं हुआ था तथा न ही मुल्जिमान से सम्बन्धित कोई वस्तु बरामद हुई थी।

45. पी.डब्लू.7 के रूप में प्रथम विवेचक शिवराज, अपर पुलिस अधीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में दौरान विवेचना मुख्यतः किस दिनांक पर क्या कार्य किया गया है उसका उल्लेख किया गया तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार करना कहा गया है तथा नक्शानजरी को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। शव विच्छेदन आख्या के उपरांत चोटों को दृष्टिगत रखते हुए विवेचक द्वारा धारा 376(2) भा.द.सं. की बढ़ोत्तरी की गयी। जिस स्थान

से मृतका के जले हुए कपड़े बरामद किये गये है उस स्थान के नक्शा नजरी को भी इस साक्षी द्वारा प्रदर्श क–6 व नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है।

46. प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि घटनास्थल के आस–पास घटना कारित होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। वह दिनांक 15.06.2017 को ही वादी के साथ घटनास्थल पर पहुँचा था। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया है कि घटनास्थल के आस–पास घटना कारित होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला था।

47. पी.डब्लू.9 के रूप में मामले के दूसरे विवेचक विकास कुमार जायसवाल को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा बयान में यह कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना उसके द्वारा दिनांक 20.07.2017 में ग्रहण की गयी थी। दिनांक 29.07.2017 को वह घटनास्थल पर गया था और वहां जाकर अपने निर्देशन में नक्शा नजरी बनवाया था। जिसे इस साक्षी द्वारा प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया है तथा आरोप पत्र प्रदर्श क–11 पर अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करते हुए आरोप पत्र प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया है। दौरान विवेचना मृतका के कपड़े तथा मिट्टी को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित आख्या को इस साक्षी द्वारा एससी.डी.4 के माध्यम से न्यायालय के समक्ष भेजी गयी थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित आख्या को इस साक्षी द्वारा प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया है तथा प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि पूर्व विवेचक द्वारा बनाये गये नक्शे से पूर्ण संतुष्ट था। परन्तु उसके बाबजूद भी इस साक्षी द्वारा घटनास्थल का पुनः नक्शा बनाया गया जिसका वह कोई कारण नहीं बता सकता। परन्तु उसके द्वारा अपने बनाये गये नक्शे तथा पूर्व विवेचक द्वारा बनाये गये नक्शे में कोई भिन्नता नहीं पायी गयी थी। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो घटना के सभी साक्ष्य समाप्त हो चुके थे इसलिए उसने अपनी विवेचना में किसी साक्षी का वर्णन अंकित नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाबत भी इस साक्षी द्वारा कोई जानकारी नहीं की गयी। इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया गया है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या में राख व जली मिट्टी व अधजले कपड़ों के टुकड़ों, डण्डा आदि पर मानव रक्त व वीर्य के शुक्राणु के धब्बे नहीं पाये गये।

48. यदि इस साक्षी के बयान की समीक्षा की जाये तो स्पष्ट होता है कि इस साक्षी द्वारा दिनांक 29.07.2017 में घटनास्थल का निरीक्षण किया था और जब इस साक्षी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तब स्वयं इस साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर घटना से सम्बन्धित सभी साक्ष्य समाप्त हो चुके थे। इससे स्पष्ट होता है कि इस साक्षी द्वारा केवल विवेचना की औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए मामले में

आरोप पत्र प्रेषित किया है तथा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरांत विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त आख्या को पूरक केस डायरी के माध्यम से न्यायालय प्रेषित किया गया।

49. उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि मृतका के जो अधजले कपड़े तथा मिट्टी परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गयी थी उसमें किसी भी प्रकार का रक्त नहीं पाया गया तथा घटना में प्रयुक्त कथित डण्डा पर भी शुक्राणु अथवा वीर्य नहीं पाया गया।

50. पी.डब्लू.8 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक बाबूराम को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी एफ.आई.आर. लेखक है तथा पुलिस का औपचारिक साक्षी है इस साक्षी द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8 एवं जी.डी. प्रदर्श क–9 को विधिवत साबित किया है तथा प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इन्कार किया है कि यह कहना गलत है कि उसने अपने उच्चाधिकारी के दबाब में एन्टी टाइम एफ.आई.आर दर्ज करायी हो।

51. साक्षी ज्ञानेन्द्र कुमार को पी.डब्लू.10 के रूप में परीक्षित कराया गया है। हालांकि यह साक्षी विवेचक नहीं है परन्तु इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना तथा मृतका के जले हुए कपड़े बरामद करना कहा गया है। इस साक्षी ने अपने बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 21.06.2017 को थाना भरथना में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। दिनांक 21.06.2017 में इस साक्षी द्वारा अभियुक्त अकरम खान को गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त अकरम की निशानदेही पर घटनास्थल से पांच सौ मीटर नहर पुल की पटरी पर सड़क पार करके वाहरपुरा पुल जाने वाले नहर पटरी मार्ग सड़क किनारे जलाये गये स्थल से जली हुयी साड़ी जिसमें कुछ हिस्सा पीली साड़ी का भी था, बरामद किया गया। अभियुक्त अकरम द्वारा बताया गया था यह वही साड़ी व कपड़े है जो मृतका के हैं,जो मारकर डालने से पहले उतार लिये थे। साक्षी के इस कथन के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि स्वयं अभियुक्त अकरम द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया है।

52. इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण एवं समीचीन होगा कि अभियुक्त अकरम के बयान के जिस अंश पर उपरोक्त तर्क प्रस्तुत किया गया है वह बयान अभियुक्त अकरम द्वारा पुलिस अभिरक्षा के दौरान दिया गया है। जिसे धारा 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दृष्टिगत निर्णायक साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया है कि दिनांक 11.07.2017 को अभियुक्त कल्लू गुप्ता उर्फ अरविन्द को क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में गिरफतार किया गया था तथा

अभियुक्त कल्लू की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा लकड़ी का दिनांक 11.07.2017 को ही, जहां पर मृतका के कपड़े जलाये गये थे, उसी जगह से लगभग 15 कदम से बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा मौके पर ही फर्द बनायी गयी थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने से पूर्व वादी घटनास्थल देख चुका था या नहीं। परन्तु यदि कोई व्यक्ति घटनास्थल बताता है तो उसका तात्पर्य यह है कि उसने घटनास्थल देखा है या उसे उसकी जानकारी है। साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि घटनास्थल पर मृतका के शव के आस–पास कोई चिन्ह नहीं मिले थे। मृतक के शव मिलने के स्थान पर आला कत्ल नहीं मिला था बल्कि अभियुक्त कल्लू गुप्ता की गिरफ्तारी के समय उसकी निशानदेही पर बरामद हुआ था।

53. इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना तथा उनकी निशानदेही पर आला कत्ल डण्डा तथा मृतका के अधजले कपड़े बरामद करना बताया गया है तथा स्वयं इस साक्षी के अनुसार भी जिस स्थान पर मृतका का शव मिला था, वहां से डण्डा नहीं मिला था। पत्रावली पर फर्द प्रदर्श क–12 (फर्द कब्जा लेने आला कत्ल एक डण्डा लकड़ी) उपलब्ध है। जिसके परिशीलन से स्पष्ट होता है कि जिस स्थान से मृतका के कपड़े बरामद किये गये थे उस स्थान से केवल करीब 15 कदम की दूरी से अभियुक्त कल्लू की निशानदेही पर डण्डा बरामद किया जाना फर्द में उल्लिखित किया गया है। उक्त बरामदगी दिनांक 11.07.2017 में फर्द बरामदगी में दर्शित की गयी है। जब कि अभियुक्त अकरम की निशानदेही पर मृतका के कपड़े दिनांक 21.06.2017 में बरामद करना दर्शित किया गया है। स्वयं फर्द बरामदगी के प्रदर्श क–7 एवं प्रदर्श क–12 के अनुसार जिस स्थान से मृतका के कपड़े बरामद किये गये थे उस स्थान से डण्डा बरामदगी का स्थान केवल 15 कदम होना अंकित किया है। पन्द्रह कदम की दूरी इतनी अधिक दूरी नहीं होती है कि दिनांक 21.06.2017 में जब मृतका के कपड़े बरामद किये गये थे तब पुलिस बल के सदस्यों को 15 कदम की दूरी पर डण्डा दिखायी न दिया हो। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–12 से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि जिस स्थान से डण्डा बरामद किया गया था वह स्थान सामान्यतः जनसाधारण की दृष्टि में न आता हो।

54. इन परिस्थितियों में कथित डण्डा बरामदगी पर प्रश्न चिन्ह लगता है तथा कथित बरामदगी संदेह की परिधि में आती है। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि जब दिनांक 15.06.2021 में पी.डब्लू.7, जो कि मामले का विवेचक है, को घटनास्थल के निकट एवं आस–पास कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो दिनांक 21.06.2017 में पी.डब्लू.10, जिसके द्वारा अभियुक्त अकरम को गिरफ्तार

किया गया, पीड़िता के कपड़े दिनांक 21.06.2017 में किस प्रकार मिल सकते थे। यदि घटनास्थल के आस–पास दिनांक 15.06.2017 में मामले के विवेचक को घटना से सम्बन्धित कोई साक्ष्य नहीं मिला तो दिनांक 21.06.2017 में दर्शित बरामदगी पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। जब अभियोजन से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा गया तो अभियोजन की ओर से इस बिन्दु पर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।इसके अतिरिक्त यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण एवं समीचीन है कि जिस स्थान से बरामदगी की गयी है वह स्थान सार्वजनिक स्थान है जहां पर जनमानस का आवागमन बना रहता है। अभियोजन की ओर से बरामदगी का कोई स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी भी परीक्षित नहीं कराया गया है जब कि फर्द बरामदगी में स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षियों की मौजूदगी अंकित की गयी है। ऐसी स्थिति में दिनांक 15.06.2017 में घटनास्थल के आस–पास कोई साक्ष्य न मिलना तथा उसके एक सप्ताह के उपरांत दिनांक 21.06.2017 में उसी स्थान के पास से मृतका के कथित कपड़े बरामद करना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। दिनांक 11.07.2017 में कथित डण्डा बरामदगी के सम्बन्ध में जो फर्द बरामदगी बनायी गयी है उसके सम्बन्ध में रवानगी की जी.डी. एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकती थी जिसके साबित होने पर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता था कि पुलिस उक्त रवानगी जी.डी.के अनुक्रम में थाना से रवाना की गयी। उक्त के अभाव में पुलिस टीम का घटनास्थल पर पहुंचना विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। अभियोजन की ओर से प्रदर्श क–12 के सम्बन्ध में थाने से रवानगी तथा पुनः आमद के सम्बन्ध में कोई जी.डी.पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

55. हालांकि यह संदेह से परे साबित नहीं है फिर भी यदि यह मान भी लिया जाये कि उपरोक्त दिनांकों पर अभियुक्तगण की निशानदेही पर अधजले कपड़े व डण्डा बरामद किया गया था तो भी मात्र अभियुक्तगण की निशानदेही पर बरामदगी किये जाने के आधार मात्र पर अभियुक्तगण को दण्डित नहीं किया जा सकता है।

56. यदि तथ्य के सभी साक्षीगण के साक्ष्य को एक साथ कड़ियों के रूप में भी पढ़ा जाये तो भी मृतका का दिनांक 14.06.2017 में अभियुक्तगण के साथ समय करीब तीन बजे से रात्रि साढ़े नौ बजे तक देखा जाना संदेह से परे साबित नहीं होता है। पी.डब्लू.1 द्वारा तो अपने साक्ष्य में यह कहा है कि अभियुक्त कल्लू के जाने के दस मिनट बाद उसकी पत्नी घर से गयी थी। पी.डब्लू.4 द्वारा अभियुक्तगण के साथ जिस महिला को देखा जाना बताया गया है उस महिला की कोई पहचान पी.डब्लू.4 द्वारा नहीं बतायी गयी है। जहां तक पी.डब्लू.5 के बयान का प्रश्न है, उसके द्वारा भी यह कहा गया है कि उसके द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में संगीता नामक महिला का

नाम किस प्रकार आया वह इसकी वजह नहीं बता सकती। इसका तात्पर्य यही है कि साक्षी पी.डब्लू.5 द्वारा भी मृतका को अंतिम बार अभियक्तगण के साथ देखा जाना संदेह से परे साबित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पी.डब्लू.5 के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। एक स्थान पर इस साक्षी ने यह कहा है कि अभियुक्त कल्लू, महिला को लेकर उसके घर आया था परन्तु अपने बयान के दूसरे अंश में उसने यह कहा है कि उसने कल्लू को चौराहे के पास काले शीशे की गाड़ी में देखा था। अभियोजन द्वारा यह भी साबित नहीं किया गया कि जिस चौराहे की बात पी.डब्लू.5 द्वारा की गयी है उस चौराहे पर दिनांक 14.06.2017 को रात्रि के करीब नौ से दस बजे के मध्य रोशनी थी अथवा नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा दूर से गाड़ी के अन्दर किसी व्यक्ति को पहचानना सामान्यतः संभव नहीं है। केस डायरी के पर्चा संख्या–5 में अभियुक्त अकरम का बयान अंकित किया गया है। विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में यह अंकित किया गया है कि–"अभियुक्तगण दिनांक 16.06.2017 में रात्रि करीब सात बजे टोल टैक्स हाई–वे से होते हुए गांव सलैया पहुँचे थे।"अभियुक्त के इस बयान के दृष्टिगत यह आसानी से साबित किया जा सकता था कि बताये गये उपरोक्त दिनांक व समय पर अभियुक्तगण मृतका के साथ उक्त समय पर थे। इस सम्बन्ध में टोल पर स्थापित सी.सी.टी.वी.कैमरे से अभियुक्तगण की लोकेशन एवं उनके मृतका के साथ मौजूद होने के तथ्य को सी.सी.टी.वी.फुटेज के माध्यम से साबित किया जा सकता था, परन्तु अभियोजन द्वारा इस बिन्दु पर पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

57. इसके अतिरिक्त जिस कार में मृतका के साथ मारपीट करना बताया गया है उस कार की भी फोरेंसिक जांच के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा स्वयं वादी मुकदमा द्वारा यह कहा गया है कि मृतका एवं अभियुक्त कल्लू के मध्य सम्बन्ध थे। अभियोजन का यह भी केस नहीं है कि मृतका एवं अभियुक्त कल्लू के मध्य कोई लड़ाई–झगड़ा अथवा विवाद हुआ हो। ऐसी परिस्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह व्यक्ति ऐसी किसी महिला की हत्या करेगा जिसके साथ उसका शारीरिक अथवा भावनात्मक लगाव हो।

58. अभियुक्तगण के विरुद्ध मृतका के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर उसकी हत्या करने का आरोप भी विरचित किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करने की पुष्टि होती हो। यह सही है कि शव विच्छेदन आख्या में दर्शित चोट संख्या–12 के रूप में लैसिरेटिड घाव 8x2 सेमी पैरीनियम के दांयी तरफ गुदाद्वार पर होना अंकित की

गयी है तथा चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू.3 द्वारा मृतका की योनि में जबरदस्ती बलपूर्वक पैनीट्रेशन किया जाना अपने बयान में बताया है, परन्तु इससे यह साबित नहीं हो जाता है उक्त प्रवेशन अभियुक्तगण द्वारा किया गया है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजीव सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार 2016 (93)ए.सी.सी.पेज 525** में यह अवधारित किया गया कि–''कोई आरोप तभी साबित कहा जा सकता है जब विधिक दोष सिद्धि हेतु प्रत्यक्ष व निश्चित साक्ष्य उपलब्ध हो। किसी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक सिद्ध दोष के लिए दोषी नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष को संदेह से परे आरोप साबित करना होता है। निर्दोषता की अवधारणा न केवल व्यक्ति विशेष को सुरक्षित करती है बल्कि विधिक निकाय की सुरक्षा और उसमें जनसामान्य के विश्वास को भी बनाये रखती है।''माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य 2016 (93)ए.सी.सी.पेज 463** में यह अवधारित किया गया कि–'' परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त के दोषी होने का संकेत मिलता हो,पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से साबित होना चाहिए।'' जिसका कि प्रस्तुत मामले में अभाव है। अभियोजन अपने कथानक को परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

59. उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण कल्लू गुप्ता एवं अकरम खान के विरूद्ध आरोपित आरोप धारा–302/34, 201, 376(2)भा.द.सं. व धारा 3(2)(v)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण आरोपित आरोप धारा–302/34, 201, 376(2) भा.द.सं. व धारा 3(2)(v)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण कल्लू गुप्ता एवं अकरम खान को आरोपित आरोप धारा–302/34, 201, 376(2) भा.द.सं. व धारा 3(2)(v)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के बन्धपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा–437ए दं.प्र.संहिता के अनुपालन में अंकन 20,000/– 20,000/–रुपये का निजी बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि की

एक–एक प्रतिभू दाखिल करे।

दिनांक 16.07.2026 **(संजय कुमार–IV)**

विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी(पी0 ए 0)एक्ट/

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.2, इटावा।

JO Code No. UP 6462

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 16.07.2026 **(संजय कुमार–IV)**

विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी(पी0 ए 0)एक्ट/

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.2, इटावा।

JO Code No. UP 6462

परिशिष्ट–"अ"

मानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दाण्डिक अपील संख्या (एस)2973/2023 मनोजभाई जेठा भाई परमार (रोहित) बनाम गुजरात राज्य** में पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2025 में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना।

जांचे गये गवाहों की सूची

अभियोजन गवाह संख्या	**अभियोजन गवाह का नाम**	**विवरण**
पी.डब्लू.1	राजकुमार	वादी मुकदमा
पी.डब्लू.2	राजेश्वरी	अभियुक्त कल्लू गुप्ता की मां
पी.डब्लू.3	डा.संजीव कुमार	शव विच्छेदनकर्ता
पी.डब्लू.4	सोनू तिवारी	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू.5	श्रीमती मीनादेवी	तथ्य की साक्षी
पी.डब्लू.6	निरीक्षक रजनीश कुमार	गवाह पंचायतनामा
पी.डब्लू.7	शिवराज, अपर पुलिस अधीक्षक, गोंडा	प्रथम विवेचक
पी.डब्लू.8	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक बाबूराम	एफ.आई.आर.लेखक
पी.डब्लू.9	विकास कुमार जायसवाल, क्षेत्राधिकारी	द्वितीय विवेचक
पी.डब्लू.10	ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह,सेवानिवृत्त निरीक्षक	फर्द बरामदगी का गवाह

प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची

प्रदर्श नम्बर	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा सत्यापित / साबित किया।**
प्रदर्श क–1	तहरीर वादी (प्रार्थना पत्र)	वादी मुकदमा पी.डब्लू.1
प्रदर्श क–2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी.डब्लू.3
प्रदर्श क–3	पंचायतनामा	पी.डब्लू.6
प्रदर्श क–4	मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित पत्र	पी.डब्लू.6

प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी	पी.डब्लू.7
प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी	पी.डब्लू.7
प्रदर्श क–7	फर्दलेने कब्जे जली साड़ी कपड़े के टुकड़े मृतका	पी.डब्लू.7
प्रदर्श क–8	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी.डब्लू.8
प्रदर्श क–9	जी.डी.	पी.डब्लू.8
प्रदर्श क–10	नक्शा नजरी घटनास्थल	पी.डब्लू.9
प्रदर्श क–11	आरोप पत्र	पी.डब्लू.9
प्रदर्श क–12	फर्द कब्जे लेने आला कत्ल एक अदद डण्डा लकड़ी	पी.डब्लू.10
प्रदर्श क–12	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या	पी.डब्लू.9
प्रदर्श क–13	नमूना मुहर	पी.डब्लू.10

<u>भौतिक वस्तुओं/मुद्देमाल के लिए नमूना चार्ट</u>

भौतिक वस्तु नंबर	प्रदर्शनी का विवरण	किसने साबित किया/किसने सत्यापित किया
वस्तु प्रदर्श क-1	हत्या में प्रयुक्त डण्डा	पी.डब्लू.10
वस्तु प्रदर्श क-2	साड़ी के टुकड़े व मिट्टी का डिब्बा	पी.डब्लू.10

दिनांक 16.07.2026 **(संजय कुमार–IV)**

विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी(पी0 ए 0)एक्ट/

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.2, इटावा।

JO Code No. UP 6462